



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहामाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 344

बिलासपुर, दिनांक 08.02.2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक

(भू-प्रबंध)

अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय :-

Diversion of forest land for non- forest under Forest Conservation Act, 1980

Proposed for Bharat Project Phase II Dharamjaigarh Forest Division Forest land required for Optical Fiber Cable Laying works under National Optical Fiber Network Project of Bharat Broadband Network Limited (BBNL) for providing Broadband Connectivity of Block to Gram Panchayat. Optical Fiber Laying from Dharamjaigarh and Lailunga Block Headquarter to Gram Panchayat area- 17.329ha.- reg

पंजीयन क्र. FP/CG/OFC/45138/2020

संदर्भ :-

आपका पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/एल.एम.-115-865/1538 दिनांक 19.08.2020

-----0-----

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रतिवेदन है कि, संदर्भित पत्र द्वारा आवेदक संस्थान को वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत Bharatnet Project Phase II Dharamjaigarh Forest Division "Forest Land required for optical fiber cable laying works under National Optical Fiber Network Project of Bharat Broadband Network Limited (BBNL) for providing Broadband connectivity of Blocks to gram panchayat. Optical Fiber Cable Laying from Dharamjaigarh and Lailunga Block Headquarter to gram panchayat हेतु कुल क्षेत्र 17.329 हे. धरमजयगढ़ वनमण्डल अन्तर्गत वनभूमि के गैर वनभूमि उपयोग हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार है -

क्र.	अभिलेख का विवरण	पृ.क्र.
	GoI (MoEF) से संबंधित अभिलेख	
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र।	संलग्न है। (पृ.क्र. 01)
2	रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु आनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छाया प्रति।	संलग्न है। (पृ.क्र. 02-03)
3	वन क्षेत्र विवरण।	संलग्न है। (पृ.क्र. 04-13)
4	गैर वनक्षेत्र विवरण।	संलग्न है। (पृ.क्र. 14)
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर।	संलग्न है। (पृ.क्र. 15-35)
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप।	संलग्न है। (पृ.क्र. 36-86)
7	प्रपत्र -4 में प्रस्ताव।	संलग्न है। (पृ.क्र. 87-98)
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप।	संलग्न है। (पृ.क्र. 99-101)
9	न्यूनतम वन क्षेत्र की उपयोगिता प्रमाण पत्र।	प्रमाण पत्र संलग्न है। (पृ.क्र. 102)
10	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/ जिम्मेदारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही	संलग्न है। (पृ.क्र. 103)
11	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा	संलग्न है। (पृ.क्र. 104-121)

12	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र।	प्रमाण पत्र संलग्न है। (पृ.क्र. 122)
13	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010)।	आवेदक संस्थान द्वारा पकरण में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। संलग्न है। (पृ.क्र. 123-126)
14	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में)।	संलग्न है। (पृ.क्र. 127)
15	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में।	संलग्न है। (पृ.क्र. 128)
16	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में।	संलग्न है। (पृ.क्र. 129)
17	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधिरायगढ़में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010)।	संलग्न है। (पृ.क्र. 130)
18	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा),। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ,नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No.11-9/1998 दिनांक 3/8/2009)।	आवेदक संस्थान द्वारा कलेक्टर रायगढ़ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। संलग्न है। (पृ.क्र. 131-132)
19	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू -प्र/1317 दिनांक 25/05/2007)।	आवेदक संस्थान द्वारा कलेक्टर रायगढ़ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। संलग्न है। (पृ.क्र. 133-135)
राज्य शासन से संबंधित अभिलेख		
20	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन ,वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31/07/2009)।	संलग्न है। (पृ.क्र. 136)
21	राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण्य के अंदर से ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा।	संलग्न है। (पृ.क्र. 137)

संलग्न :- प्रस्ताव 03 प्रतियों में।

पृ.क्रमांक/तक./2021/ 345

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमण्डल, धरमजयगढ़ की ओर सूचनार्थ।
2. ACEO, Chhattisgarh Infotech Promotion Society CHiPS, 2nd Floor, SDC Building, Civil Line Raipur C.G. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

/बिलासपुर, दिनांक 08.02.2021

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस...

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदनकर्ता, ACEO, Chhattisgarh Infotech Promotion Society CHiPS, 2nd Floor, SDC Building, Civil Line Raipur (C.G.) के द्वारा 17.329 हे. वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदित वनभूमि आरक्षित 7.171 हे., संरक्षित 9.751 हे. एवं राजस्व 0.407 हे. कुल 17.329 हे. Optical Fiber Cable Line का निरीक्षण नहीं किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

अनुशंसित

दिनांक :

स्थान - बिलासपुर।

(अभि) भा.से.

संरक्षक

बिलासपुर

(नवीद सुजाउद्दीन) भा.व.से.

मुख्य वन संरक्षक

बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

